तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16-9-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 14-10-22 को पेश हो।
14-10-22	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.सं. 60/2 रकबा 1.04 हैक्टर वाके ग्राम भामपुरा तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि ख.सं. 60/2 की दक्षिण दिशा की तरफ अप्रार्थी के खाते की कृषि भूमि ख.सं. 62 स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमियों के मध्य 40 वर्ष पूर्व 2-2½ फिट ऊंची मिट्टी की मेड प्रार्थी द्वारा बना रखी है जिससे सीमा निर्धारित है। अप्रार्थी ताकत के बल पर प्रार्थी की कृषि भूमि की दक्षिण दिशा में बनी मिट्टी की मेड को खोदकर सीमा चिन्हों को मिटाने पर आमादा है और निवेदन किया कि अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूलवाद के निर्णय तक पाबन्द फरमाया जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि ख.सं. 62 में उत्तरी तरफ 5 फिट छोड़कर मकान का निर्माण किया है। पीछे छूटी हुई 5 फिट जगह पर प्रार्थी कब्जा करना चाहता है और निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का →

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की सीमाएं मिली हुई है जिनके मध्य मिट्टी की 2-2½ फिट ऊंची मिट्टी की मेड बनी हुई है. जिसको लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य विवाद होना स्पष्ट है। अत: वाद बाहुल्यता बढने की सम्भावना को मध्य नजर रखते हुए उभयपक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायहित मे उचित समझते है। अत: उभयपक्ष को ता फैसला मूल वाद तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है. कि विवादित आराजी खसरा संख्या 60/2 रकबा 1.04 हैक्टर वाके ग्राम [illegible] तहसील इन्द्रगढ़ की दक्षिण दिशा मे बनी मिट्टी की मेड तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूलवाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	